



हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय
Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University
श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड)-246174
Srinagar Garhwal (Uttarakhand) - 246174
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University)

दूरभाष / Telephone : 01346-252143 (0)
फैक्स / Fax : 01346-252247 (0)
ईमेल / Email : registrar.hnbgu@gmail.com

व.ग.वि.वि./मान्यता/2022/653

दिनांक 25/01/22

सेवा में,

प्राचार्य / निदेशक / सचिव

श्री देवभूमि इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी,
ग्राम मझौन वाया पौंच, देहरादून।

विषय:- सत्र 2021-22 अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण विषयक।

महोदय,

विश्वविद्यालय द्वारा जारी नोटफिकेशन पत्रांक संख्या- मान्यता/225 दिनांक 17.09.2021, पत्रांक सं- हे0न0ब0ग0वि0/मान्यता/2021/408 दिनांक 31.12.2021, पत्रांक सं-हे0न0ब0ग0वि0वि0/मान्यता/2022/418 दिनांक 06.01.2022, पत्रांक सं-हे0न0ब0ग0वि0वि0/मान्यता/2021-22/432 दिनांक 22.01.2022, पत्रांक सं-हे0न0ब0ग0वि0वि0/मान्यता/20221-22/457 दिनांक 04.02.2022 एवं पत्रांक संख्या-हे0न0ब0ग0वि0वि0/मान्यता/2022/581 दिनांक 14.03.2022 के क्रम में ऑनलाइन एफिलियेशन पोर्टल के माध्यम से कालेज/संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं व जमा शुल्क तथा कालेज/संस्थान द्वारा पोर्टल पर अपलोड किये गये 28 बिन्दुओं के शपथ पत्र के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा कार्यालयादेश संख्या-मान्यता/2021/257 दिनांक 07.10.2021 में पत्रांक संख्या- हे0न0ब0ग0वि0वि0/आर0ओ0/2022/44 दिनांक 02.02.2022 से गठित समितियों की संस्तुतियों एवं कुलपति महोदय द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के परिनियम की धारा 11 (3) में निहित अधिकारों का उपयोग करते हुए उपघास 4 (1) एवं 46 (2) के अनुसार श्री देवभूमि इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, देहरादून में स्ववित्त पोषित में संचालित प्रोप्रायटरी एग्रीगेशन में 100 सीट एवं एग्रीगेशन प्रोप्रायटरी में 50 सीट के सत्र 2021-22 के अस्थाई सम्बद्धता प्रमाणपत्रों के अस्थाई कार्य परिषद बैठक की स्वीकृति की प्रत्याशा में अस्थाई स्वीकृति निम्न प्रतिबंधों के साथ प्रदान की जाती है-

1. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के लिए यू0जी0सी0/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता धारक शिक्षकों की नियुक्ति संचालित करनी होगी।
2. शिक्षकों को यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित वेतन का भुगतान एकाउन्ट पे माध्यम से करना होगा।
3. एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 के छात्रों को नियमानुसार आरक्षण देना होगा।
4. इस विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के लिए निर्धारित परिसर में किसी अन्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम संचालित नहीं किये जायेंगे तथा कालेज/संस्थान में किसी दूसरे विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्र संचालित नहीं किया जायेगा।
5. विश्वविद्यालय के आदेशों/निर्देशों का पूर्णतया पालन करना होगा।
6. कालेज/संस्थान विश्वविद्यालय द्वारा मागी गई सूचनाओं को उपलब्ध कराने हेतु बाध्य होगा।
7. आपके महाविद्यालय/संस्थान के औचक निरीक्षण हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति को सम्बद्धता पोर्टल (Affiliation Portal) पर अपलोड की गयी सूचनाओं, प्रपत्रों एवं अन्य सम्बन्धित प्रपत्रों का अवलोकन कराना होगा।
8. कालेज/संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय के सम्बद्धता पोर्टल पर अपलोड किये गये प्रपत्रों, शिक्षकों के शैक्षिक योग्यता के प्रमाण-पत्र, पुस्तकालय एवं अन्य सुविधाओं के सत्यापित प्रपत्रों की हार्डकॉपी एवं 28 बिन्दुओं के शपथ-पत्र (मूलरूप) के साथ दो सप्ताह के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में जमा करानी होगी।
9. प्रत्येक तीन माह में फैंकल्टी को किये गये वेतन भुगतान का बैंक स्टेटमेंट विश्वविद्यालय को प्रेषित करना होगा।
10. स्वीकृत सीटों पर दिये गये प्रवेशों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण सहित सूची प्रवेश पूर्ण होने के एक सप्ताह के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को उपलब्ध करानी होगी।
11. उपरोक्त का अनुपालन न करने पर कालेज/संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

कुलसचिव 25/01/22

- प्रतिलिपि:-
1. उप कुलसचिव परीक्षा/परीक्षा नियंत्रक/समन्वयक प्रवेश परीक्षा।
 2. प्रति कुलपति कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
 3. गार्ड फाइल।

कुलसचिव